

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

प्रकरण संख्या— 18/2019

निर्णय दिनांक — 04.04.2019

मांगु उर्फ मांगीलाल पिता भैरु उर्फ भैरूलाल जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

— प्रार्थीया

// /बनाम //

1. मानसिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. हुकुमसिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. किशनसिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
4. कैलाशसिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
5. लक्ष्मणसिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
6. भगवाना पिता परथा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
7. शांतिलाल पिता हेमा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
8. रामलाल पिता हेमा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
9. समझकुंवर पत्नि महिपालसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
10. गोर्वधनसिंह पुत्र महिपालसिंह जाति राजपुत आयु अवयस्क जरिये वली सरपस्त माता समझकुंवर पत्नि महिपालसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
11. प्रतापसिंह पुत्र महिपालसिंह जाति राजपुत आयु अवयस्क जरिये वली सरपस्त माता समझकुंवर पत्नि महिपालसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
12. रामसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
13. अशोकपाल सिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

— विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट
आदेश**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा सतखंडा पटवार हल्का सतखंडा तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 443 की आराजी नं0

302 रकबा 0.0100 हैक्टेयर आराजी नं0 2683/303 रकबा 1.1800 हैक्टेयर लगानी 4 रूपये 50 पैसा आराजी नं0 2685/307 रकबा 0.2600 हेक्टेयर व खाता नं0 442 की आराजी नं0 308 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, आराजी नं0 304 रकबा 0.0900 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1000/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा सतखंडा पटवार हल्का सतखंडा तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 443 की आराजी नं0 302 रकबा 0.0100 हैक्टेयर आराजी नं0 2683/303 रकबा 1.1800 हैक्टेयर लगानी 4 रूपये 50 पैसा आराजी नं0 2685/307 रकबा 0.2600 हेक्टेयर व खाता नं0 442 की आराजी नं0 308 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, आराजी नं0 304 रकबा 0.0900 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 04.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

